



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
03/03/2021	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक नवरू सावैयाँ, पिता/पति- स्व० जोंगा सावैया, ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलपी, थाना न०- 580, खाता न०- 167, प्लॉट न०- 421, रकवा- 0.09 एकड़ भूमि क्रेता बसंत कुमार पिंगुवा, पिता/पति- सिदिऊ पिंगुवा, ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तांतरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तुक (ए) के अन्तर्गत क्रेता इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर हालसर्वे खतियान में दर्ज होकर है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 252, दिनांक 25.02.2021 के द्वारा प्राप्त है। मकान बनाने एवं अन्य घरेलु कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता बसंत कुमार पिंगुवा, पिता/पति- सिदिऊ पिंगुवा, ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुफ्फसिल, के पास 5,00,000.00/- (पाँच लाख रुपये ) मात्र। में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात भी 2.50 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित हैं।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता नवरू सावैयाँ, पिता/पति- स्व० जोंगा सावैयाँ, ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलपी, थाना नं०-580, खाता नं०-167, प्लॉट नं०- 421, रकवा- 0.09 एकड़ क्रेता बसंत कुमार पिंगुवा, पिता/पति- सिदिऊ पिंगुवा, ग्राम- मतकमहातु, थाना- मुफ्फसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तुक (ए)के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की.....<u>अनुमति</u>.....दी जाती है।</p> <p>लेखापित।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	